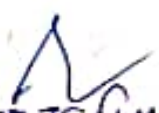


कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ ।

आदेश पत्रक

पत्रक - ता० विजय दशमी अक्षांश से पुनर्वसु चोखं तक
 जिला - बालूमाथ, जिला - लातेहार बाद सं०- 30 / 2023
 पत्रक का प्रकार- भूमि विवाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
19-07-2023	अधिकृत विजय दशमी चोखं पिता ल. कुमर. सहित भूमि - मेरिछा (चपरा मेरिछा-लेला) धान-बागेश्वर के द्वारा आवेदन प्राप्त है। अधिकृत में भूमि-लेखा 15 खता 40 62 एम.एन. 2565 वन रकबा 2.63 हे. वन रकबा 2.63 हे. 290 RSC. 1 वन 3128 वन 2.63 हे. भूमि से देखा है। अधिकृत का कहना है कि वन भूमि में पुनर्वसु चोखं के विवाद में कोई हस्त दिखे है। 10 वर्ष तब वन रकबा देना है। लेकिन वन वन देना वन कर दिखे एवं भूमि देना है। न्याय हेतु आवेदन के आलोक में वन की फावट प्रारम्भ की जाती है। अथ वन में नैतिक विवाद है। अनिल शर्मा 21/7 से उपस्थित करे। अंचल अधिकारी बालूमाथ	

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अ. ग. नं० तारीख
1	2	
02-08-2023	अभिलेख उपस्थापित । उभय पक्ष उपस्थित । पदाधिकारी के अन्तर्गत सहायि-वर्गी में व्यवहार होने के कारण वाद की सुनवाई नहीं है । अभिलेख दिनांक 23.08.2023 को उपस्थापित करें ।  अधिलेख अधिकारी वा.स.ग.प.	
23-08-23	अभिलेख उपस्थापित । प्रथम पक्ष उपस्थित । द्वितीय पक्ष अगुमन । वाद की सुनवाई नहीं है । अभिलेख दिनांक 9-9-2023 को उपस्थापित करें ।  अधिलेख अधिकारी वा.स.ग.प.	
01/9/2023	अभिलेख उपस्थापित । उभय पक्ष उपस्थित । पदाधिकारी के अन्तर्गत सहायि-वर्गी में व्यवहार होने के कारण वाद की सुनवाई नहीं है । अभिलेख दिनांक 01-10-2023 को उपस्थापित करें ।  अधिलेख अधिकारी वा.स.ग.प.	

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
1 12/12/23	अगिले खंड उपस्थापित । उभय पक्ष अनुपस्थित । उभय पक्ष के अतिरिक्त गैरहित निहित रहे । अगिले खंड दिनांक 02/04/24 के उपस्थापित रहे । अंश अतिरिक्त अतिरिक्त	
2 02/04/24	अगिले खंड उपस्थापित । उभय पक्ष अनुपस्थित । उभय पक्ष की अज्ञात अनुपस्थिति के कारण वाद की प्रत्येक वकालत की अतिरिक्त । अंश अतिरिक्त अतिरिक्त	